



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ,बिलासपुर

रिट याचिका सेवा सं 6234 / 2023

नीलिमा यादव पिता श्री कुंजबिहारी यादव लगभग 34 वर्ष का व्यवसाय-खेल प्रशिक्षक खेल विभाग, एन. आई. टी. रायपुर (सी. जी.), जिला-रायपुर (सी. जी.), निवासी महावीर नगर एल. आई. जी. 6 शिव मंदिर रायपुर, जिला-रायपुर (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - भारत संघ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव के द्वारा ,शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 2-निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)

3 - पंजीयक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड रायपुर, जिला-रायपुर (सी. जी.)

--उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 6326/ 2023

सुश्री संध्या महादिक पितास्वर्गीय महेश राव महादिक, आयु लगभग 40 वर्ष-खेल सहायक खेल विभाग, एन. आई. टी. रायपुर, छत्तीसगढ़। निवासी संतोषी नगर बोरिया रोड शीतला मंदिर के पास टिकरापारा थाना क्षेत्र रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 - भारत संघ सचिव के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली

2 - निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी.ई. रोड रायपुर, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़।

3 - रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी.ई. रोड रायपुर, जिला - रायपुर, छत्तीसगढ़।

--उत्तरवादीगण



रिट याचिका सेवा सं 1555/2024

- 1- संजय कुमार देशमुख पिता श्री केशव प्रसाद देशमुख उम्र लगभग 36 वर्ष व्यवसाय तकनीकी सहायक (संविदा), भौतिकी विभाग एनआईटी, रायपुर, छ.ग., निवासी एच.एन. 276, ओपल स्कूल के पास जवाहर नगर दुर्ग, जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़
- 2 - महेंद्र कुमार वर्मा पिता लेफ्टिनेंट श्री गोपाल राम वर्मा उम्र लगभग 50 वर्ष व्यवसाय सहायक ग्रेड चतुर्थ (संविदा), विद्युत अभियांत्रिकी विभाग एनआईटी, रायपुर, छ.ग., निवासी ग्रामनरधा, पी. ओ. नरधा, पी. एस. विधानसभा रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
- 3 - कुश कुमार पिता लेफ्टिनेंट घनश्याम सोनी, उम्र लगभग 35 वर्ष, व्यवसाय प्रयोगशाला सहायक (संविदा), विद्युत विभाग एनआईटी, रायपुर, छ.ग., निवासी 17/24 सी ग्लैक्सी चौक, भिलाई, जिला: दुर्ग, छत्तीसगढ़
- 4 - संतोष कुमार देवांगन पिता श्री अर्जुन सिंह देवांगन उम्र लगभग 45 वर्ष व्यवसाय प्रयोगशाला परिचर (संविदा), मैकेनिकल वर्कशॉप विभाग एनआईटी, रायपुर, छ.ग., निवासी आजाद चौक झिरिया पारा रुआबांधा बस्ती भिलाई नगर, जिला :दुर्ग, छत्तीसगढ़
- 5 - सचिन कुमार डोनोडे पिता श्री कृष्ण राव डोनोडे उम्र लगभग 35 वर्ष व्यवसाय लैब सहायक माइनिंग इंजीनियरिंग विभाग एनआईटी रायपुर सी. जी., निवासी एच. नं. 1247/1 वार्ड संख्या 21 इंदिरा नगर चरोदा, भिलाई, जिला:दुर्ग, छत्तीसगढ़
- 6 - सुश्री नेहा दुबे पिता श्री राजेंद्र देव दुबे ,लगभग 38 वर्ष , व्यवसाय सहायक ग्रेड III (संविदा), धातु विज्ञान तथा सामग्री इंजीनियरिंग विभाग, एन. आई. टी., जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
- 7 - सुजीत कुमार कर पिता श्री अजीत कुमार 51 वर्ष , व्यवसाय प्रयोगशाला परिचर (संविदा), विद्युत विभाग एन. आई. टी., रायपुर सी. जी., निवासी आदर्श नगर (अरोड़ा कॉलोनी) पोस्ट डोंगरगढ़, जिला:राजनंदगांव, छत्तीसगढ़
- 8 - मनोहर लाल देवांगन पिता श्री जवाहर लाल देवांगन, 41 वर्ष, व्यवसाय प्रयोगशाला परिचर (संविदा), भौतिकी विभाग एन. आई. टी., रायपुर, सी. जी., निवासी. वी. एल. आई. तथा पोस्ट काटगी, ताह। कासडोल, जिला बालोदाबाजार (सी. जी.)।
- 9 - सुश्री संध्या जोशी पिता श्री महाजन लगभग 40 वर्ष व्यवसाय प्रयोगशाला परिचर (संविदा), इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार विभाग एन. आई. टी., रायपुर, सी. जी., निवासी हाउस संख्या 2931 साई नाथ कॉलोनी लेन संख्या 3, रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़



- 10 - सुश्री अंजलि पराटे पिता श्री पुरुषोत्तम पार्ले , 37 वर्ष , व्यवसाय तकनीकी सहायक (संविदा), कंप्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग विभाग एन. आई. टी., रायपुर, सी. जी., निवासी हाउस संख्या 1017 बुध तालाब पुल मजार वाली रायपुर, जिला निवासी पास:रायपुर, छत्तीसगढ़
- 11-श्रीमती. दीपिका शर्मा पति श्री रमेश शर्मा, 45 साल इंद्रावती बालिका छात्रावास एन. आई. टी., रायपुर, व्यवसाय मेट्रन ए. जी.-II (संविदा) , जिलारायपुर, छत्तीसगढ़
- 12 - उज्ज्वला यादव पिता श्री नरेंद्र कुमार यादू लगभग 38 वर्ष , व्यवसाय सहायक ग्रेड II (संविदा), इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार विभाग, एन. आई. टी., रायपुर, सी. जी., निवासी. रावण स्टैच्यू के पास रिंग रोड, साहू फर्निशर के पास, रावण भाठा, भाठा गाव रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
- 13 - चंद्रकांत भंवर पिता स्वर्गीय श्री लक्ष्मीनारायण भंवर उम्र लगभग 35 वर्ष व्यवसाय प्रयोगशाला परिचर (संविदा), एनआईटी, रायपुर, छ.ग., निवासी श्री राम नगर चंगोराभाठा, रायपुर, जिला : रायपुर, छत्तीसगढ़
- 14 - मोहम्मद.तनवीर खान पिता मोहम्मदतालिब खान , लगभग 42 वर्ष ,व्यवसाय कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
- 15 - राकेश कुमार पिता बीराम साहू 38 वर्ष , व्यवसाय तकनीकी सहायक (संविदा), धातुकर्म तथा सामग्री इंजीनियरिंग विभाग एन. आई. टी., रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
- 16 - श्रीमती. सुधा गिरि पति श्री प्रदीप प्रकाश गिरि लगभग 45 वर्ष ,व्यवसाय तकनीकी सहायक (संविदा), धातुकर्म तथा सामग्री अभियांत्रिकी विभाग एन. आई. टी., रायपुर, सी. जी., निवासी एम. आई. जी.-एस. टी. डी. 272, चरण-1 द्वार संख्या 2 कबीर नगर रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
- 17-रिपुसूदन लाल साहू पिता श्री रामधर , 54 वर्ष , व्यवसाय तकनीकी सहायक ग्रेड III, मैकेनिकल कार्यशाला राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़
- 18-दम्नन कुमार साहू पिता स्वर्गीय श्री बिशोहा राम साहू 35 वर्ष , व्यवसाय प्रयोगशाला सहायक दैनिक मजदूरी (कौशल) विद्युत विभाग, एन. आई. टी., रायपुर, सी. जी., वर्तमान निवास न्यू चंगोराभाठा गणपति नगर रायपुर, स्थायी पता गांवबोरसी तह- राजिम, जिला:गरियाबंद, छत्तीसगढ़
- 19 - लेखराज साहू पिता श्री यू. डी. साहू लगभग 43 वर्ष , व्यवसाय डेटा एंट्री ऑपरेटर/सहायक ग्रेड III परिक्षण प्रकोष्ठ एन. आई. टी. रायपुर, सी. जी., निवासी एम. आई. जी.-□-1271, पिताक्टर-1, डी. डी. यू. नगर रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़



20 – श्रीमती. मंजू वर्मा पति श्री महेन्द्र कुमार वर्मा लगभग 40 वर्ष , व्यवसाय ग्रेड IV (दैनिक मजदूरी अकुशल), एन. आई. टी., रायपुर, जिलारायपुर, सी. जी., निवासी गाँवनरदाहा, पी. ओ. नरदाहा, पी. एस. विधानसभा रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़

21 – रूपेंद्र कुमार देवांगन पिता श्री रामेश्वर प्रसाद देवांगन , 37 वर्षीय, व्यवसाय सहायक ग्रेड III (संविदा), मुख्य वार्डन (लड़निवासी) कार्यालय एन. आई. टी., रायपुर, सी. जी., निवासी देवांगन किराना स्टोर वार्ड संख्या 11, नवीन स्कूल दुर्गा नगर अमलेश्वर, दुर्गा, जिला :दुर्गा, छत्तीसगढ़

22 – तरुण कुमार पिता बद्री प्रसाद , 34 वर्ष ,व्यवसाय प्रयोगशाला सहायक (संविदा), मैनिवासीनिकल इंजीनियरिंग विभाग एन. आई. टी., रायपुर, सी. जी., निवासी एच. नं. 105, बस्ती कंडिका , गांवतथा पोस्ट तुलसी (मानपुर) तह। टिल्डा (नियोड़ा) रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़

23 – ईश्वर कुमार साहू पिता स्वर्गीय श्री जीवरखान लाल साहू , 45 वर्ष , व्यवसाय सहायक ग्रेड II (संविदा), छात्र अनुभाग एन. आई. टी., रायपुर, सी. जी., आर. ओ. एच. नं. 105, बस्ती कंडिका , गांव तथा पोस्ट तुलसी (मानपुर) तहसील टिल्डा (नियोड़ा) रायपुर, जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

24 – सुबेस्टिन फ्रांसिस पिता स्वर्गीय श्री एडवर्ड फ्रांसिस , 38 वर्ष व्यवसाय प्रयोगशाला सहायक (संविदा), एन. आई. टी., रायपुर, सी. जी., निवासी गोपाल नगर (राम नगर), लेन संख्या 2, पूजा किराना स्टोर निवासी पास, रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़

25 – पवन कुमार झरिया पिता श्री नटू लाल झरिया लगभग 41 वर्ष, व्यवसाय-सहायक ग्रेड II संविदा (कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायक), एन. आई. टी., रायपुर, सी. जी., निवासी ई. डब्ल्यू. पिता ए-209, इंद्रप्रस्थ चरण II, रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़

26 – प्रमोद कुमार साहू पिता श्री डी. एस. साहू लगभग 42 वर्ष , व्यवसाय तकनीकी सहायक (संविदा), भौतिकी विभाग एन. आई. टी., रायपुर, सी. जी., स्थायी निवासी एच. नंबर 54/293, गायत्री अस्पताल दगनिया, रायपुर, जिला :रायपुर, छत्तीसगढ़

27 – सुश्री शिखा मातुरकर पिता श्री विनोद मातुरकर लगभग 31 वर्ष का व्यवसाय सहायक ग्रेड III मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग एन. आई. टी. रायपुर, सी. जी., निवासी ए-173, हाउसिंग बोर्ड कोटा कॉलोनी, गुडियारी रोड कोटा, रायपुर, जिला:रायपुर, छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ताओं

बनाम



1 – भारत संघ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव के द्वारा, शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली

2 – निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर जी. ई. रोड रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

3 – राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के कुलसचिव जी. ई. रोड रायपुर, जिला: रायपुर, छत्तीसगढ़

--उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 8674/2023

रश्मि नागपाल पिता श्री निर्मल नागपाल लगभग 40 वर्ष, व्यवसाय-तकनीकी सहायक-III (संविदा), डीन, छात्र कल्याण, एन. आई. टी., रायपुर (सी. जी.), निवासी रूप सावित्री, वंदना बजाज ऑटो शो रूम के पास, रामकुंड, रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – भारत संघ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव के द्वारा, शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली

2 – निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)

3 – पंजीयक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड, रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)

--उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 8683 / 2023

संतोष कुमार नागवंशी पिता स्वर्गीय श्री हेम लाल नागवंशी, 45 वर्ष, व्यवसाय प्रयोगशाला परिचर (संविदा), धातु विज्ञान विभाग, एन. आई. टी., रायपुर (सी. जी.) निवासी शवानी किराना स्टोर के पास, कोटा, रायपुर जिला रायपुर (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – भारत संघ सचिव के द्वारा, मानव संसाधन मंत्रालय विभाग शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली। 2 – निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड, रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)

3 – पंजीयक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)



--उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 6240 /2023

श्रीमती. निधि शर्मा पतिश्री मनीष शर्मा, आयु लगभग 37 वर्ष-कार्यालय सहायक (दैनिक मजदूरी कुशल),
एन. आई. टी., रायपुर, छत्तीसगढ़। जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़। निवासी। 23/1227, स्टेडियम रोड कोटा
रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - भारत संघ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव के द्वारा शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली
- 2 - निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3 - पंजीयक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़।

--उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 6247/2023

सुनील कुमार सोनी पिता श्री लक्ष्मी नारायण सोनी 41 वर्ष, व्यवसाय प्रयोगशाला परिचर (संविदा), खनन
इंजीनियरिंग विभाग, एन. आई. टी., रायपुर (सी. जी.) जिला रायपुर (सी. जी.)

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - भारत संघ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव के द्वारा शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली
- 2 - निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड, रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)
- 3 - पंजीयक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड रायपुर, जिला रायपुर (सी. जी.)

--उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 8687 /2023

रमेश कुमार विजय पिताश्री रामायण प्रसाद, आयु लगभग 37 वर्ष-तकनीकी सहायक (संविदा), एन. आई.
टी., रायपुर, छत्तीसगढ़। निवासी मंडालखोली, गाँव-बनारी, पोस्ट-बनारी, तहसील जांजगीर जिला-
जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़।



--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - भारत संघ ,मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव के द्वारा, शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली
- 2 - निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।
- 3 - पंजीयक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड रायपुर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़।

--उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 7160 /2024

ओमप्रकाश साहू पिता श्री दुखित राम साहू, 46 वर्ष , व्यवसाय-प्रयोगशाला सहायक, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार विभाग, एन. आई. टी., रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - भारत संघ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव के द्वारा शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली
- 2-निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड रायपुर, जिला रायपुर, सी. जी.
- 3 - राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के पंजीयक, जी. ई. रोड रायपुर, जिला-रायपुर, सी. जी.

--उत्तरवादीगण

रिट याचिकस सेवा सं 7212 /2024

खगेश कुमार साहू पिता श्री चंद्रिका साहू पिता 36 वर्ष, व्यवसाय-तकनीकी सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार विभाग एन. आई. टी. रायपुर रायपुर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

- 1 - भारत संघ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव के द्वारा शास्त्री भवन डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड नई दिल्ली
- 2-निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर जी. ई. रोड रायपुर जिला-रायपुर (सी. जी.)



3 – पंजीयक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर जी. ई. रोड रायपुर जिला-रायपुर (सी. जी.)

--उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 7224/ 2024

धनेश्वर प्रसाद वर्मा पिता श्री लक्ष्मण सिंह वर्मा , 42 वर्ष , व्यवसाय-प्रयोगशाला सहायक, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा दूरसंचार विभाग, एन. आई. टी., रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – भारत संघ सचिव के द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली।

2 – निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

3 – राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर के पंजीयक, जी. ई. रोड रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

--उत्तरवादीगण

रिट याचिका सेवा सं 6752/ 2024

शेष नारायण वर्मा पिता श्री शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा , 36 वर्ष , व्यवसाय तकनीकी सहायक रसायन विज्ञान विभाग, एन. आई. टी. रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1 – भारत संघ मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव के द्वारा शास्त्री भवन, डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली

2-निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

3 – पंजीयक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, जी. ई. रोड रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़

---उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)



याचिकाकर्तागण हेतु	--	सुश्री दीपाली पांडे, अधिवक्ता
भारत संघ हेतु	--	श्री रमाकांत मिश्रा, उप सॉलिसिटर जनरल, श्री हर्षवर्धन सिंह ठाकुर तथा श्री सुमित सिंह, केंद्र सरकार के अधिवक्ता
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हेतु	--	श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

19.02.2025

1. संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुश्री दीपाली पांडे को सुना गया। श्री हर्षवर्धन सिंह ठाकुर तथा श्री सुमित सिंह, भारत संघ हेतु केंद्र सरकार के अधिवक्ता (संक्षेप में, 'यूओआई') के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (संक्षेप में, 'एनआईटी') की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा की सहायता से उप सॉलिसिटर जनरल श्री रमाकांत मिश्रा को भी सुना गया।

2. चूंकि सभी रिट याचिकाओं में एक ही विवादक शामिल है, इसलिए उन्हें एक साथ मिलाकर, एक साथ सुना जाता है और इस सामान्य आदेश द्वारा निराकरण किया जाता है।

3. इन सभी रिट याचिकाओं के निराकरण के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता एनआईटी के तहत कार्य करने वाले संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं और खेल प्रशिक्षक मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षक, कार्यालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, खेल सहायक, तकनीकी सहायक III, लैब अटेंडेंट, सहायक ग्रेड IV, लैब सहायक, सहायक ग्रेड III, मेट्रॉन एजी II, सहायक ग्रेड II, जूनियर इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर/सहायक ग्रेड III और ग्रेड IV के मूल पदों पर कार्यरत हैं। याचिकाकर्ताओं को उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियुक्त किया गया था, हालांकि संविदा के आधार पर विज्ञापन जारी किया गया, याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में भाग लिया और उसके बाद योग्यता के आधार पर याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त पदों के लिए चुना गया और उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया। यद्यपि याचिकाकर्ताओं को शुरू में क्रमशः एक वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था और बाद में, उक्त अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया है। कुछ याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उन्होंने विभाग के साथ 10-16 वर्षों से अधिक समय तक बिना किसी रुकावट के काम किया है, उन्होंने अपनी सेवाओं के नियमितीकरण के लिए कई अभ्यावेदन भी दिए हैं, लेकिन आज तक उनके अभ्यावेदनों पर उत्तरवादी प्राधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया है और निर्णय नहीं लिया गया है। याचिकाकर्ताओं की आगे का परिवाद यह है कि जहां तक अन्य विभागों का संबंध है, संविदा के आधार पर तैनात कर्मचारियों को



नियमितीकरण के लिए विचार किया गया था और उन्हें भी नियमित किया गया है। अतः, ये याचिकाएं संबंधित याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई हैं। 4. सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता सुश्री दीपाली पांडे ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं को विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद नियुक्त किया गया था, अर्थात् विज्ञापन जारी करने के बाद, उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने और उचित प्रक्रिया के साथ, उन्हें नियुक्त किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्तियां न तो अनियमित हैं और न ही अवैध। आगे यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है और यदि इस स्तर पर उन्हें हटा दिया जाता है या नियमित नियुक्ति की जाती है, तो यह अन्याय होगा क्योंकि वे नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के अपने अधिकार से वंचित हो जाएंगे। सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी (2006) 4 एससीसी 1 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता नियमितीकरण के हकदार हैं। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ताओं को रिक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त किया गया था और वे विधिवत योग्य व्यक्ति हैं और साथ ही उन्होंने 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, इसलिए, उनकी सेवाओं के नियमितीकरण के सवाल पर प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा योग्यता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था।

5. इसके अलावा, विनोद कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य (2024) 9 एससीसी 327 में दर्ज मामले पर भरोसा किया गया है, जिसमें तर्क दिया गया है कि नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए था कि उन्होंने 10-17 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है। अंत में यह तर्क दिया गया है कि हालांकि याचिकाकर्ता अधिकार के रूप में नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ ही, याचिकाकर्ताओं को नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के उनके अर्जित अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम एम.एल. केसरी एवं अन्य (2010) 9 एससीसी 247 के मामले पर भी भरोसा जताया गया।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा तर्क दिया गया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने पहले इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे कार्यालय ज्ञापन दिनांक 11.12.2006 और 07.10.2020 के प्रकाश में याचिकाकर्ताओं के लंबित अभ्यावेदन पर विचार करें और निर्णय लें और उमा देवी (सुप्रा) और एमएल केसरी (सुप्रा) के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां भी देखें, इसलिए, रजिस्ट्रार, एनआईटी, रायपुर ने रिट याचिका में पारित आदेशों के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं को ज्ञापन जारी किया, जिसमें बताया गया कि एनआईटी रायपुर में दैनिक वेतन या संविदा आधार पर काम करने वाले व्यक्तियों को नियमित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई नियम और निर्देश नहीं हैं, ऐसे में उनके नियमितीकरण के दावे को खारिज कर दिया गया है।



7. आगे यह तर्क दिया गया है कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने ज्ञापन संख्या 49019/1/2006-स्था. (सी) दिनांक 11.12.2006 के तहत अनियमित तरीके से स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्त योग्य कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं के दावे पर निर्णय नहीं लिया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने ज्ञापन संख्या 49014/7/2020-स्था. (सी) दिनांक 07.10.2020 के माध्यम से स्वीकृत पदों के विरुद्ध नियुक्त योग्य कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में एक और कार्यालय ज्ञापन जारी किया, लेकिन 10-16 साल पूरे होने के बाद भी उनकी सेवाओं को नियमित नहीं किया गया है। ऐसे में रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाए तथा उत्तरवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने का निर्देश दिया जाए, जिस पर वे नियुक्त थे और वर्तमान में काम कर रहे हैं।

8. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओडिशा राज्य एवं अन्य बनाम मनोज कुमार प्रधान के मामले में पारित निर्णयों पर भरोसा जताया, जो विशेष अनुमति अपील (सी) संख्या 5184/2022 दिनांक 28.03.2022 को तय किया गया था, साथ ही श्रीपाल एवं अन्य बनाम नगर निगम, गाजियाबाद, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 221 में रिपोर्ट किया गया था।

9. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में इस माननीय न्यायालय द्वारा गोपी साव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य के मामले में रिट अपील संख्या 14/2017, जो 07.12.2018 को निर्णीत हुई थी, में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया।

10. इसके विपरीत, भारत संघ की ओर से उपस्थित भारत के विद्वान उप सॉलिसिटर जनरल श्री रमाकांत मिश्रा और एनआईटी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रतीक शर्मा ने संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं, जो एनआईटी कार्यालय के तहत संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं, द्वारा तत्काल रिट याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के नियमितीकरण के मामले पर विचार करने का निर्देश देने के लिए राहत का दावा किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं को उस पद पर नियमित करने के लिए प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, जिस पर वे लंबे समय से काम कर रहे हैं।

उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी संख्या 2 और 3 ने उस सुसंगत समय पर उक्त पदों पर कोई नियमित नियुक्ति हुए बिना, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं का संविदा के आधार पर लाभ उठाया है और इस मोड़ पर, उत्तरवादी अधिकारियों के साथ याचिकाकर्ताओं की संविदा नियुक्तियों को नियंत्रित करने वाला विधि उन्हें याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने के लिए बाध्य नहीं करता है। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ताओं को जारी नियुक्ति आदेशों के अवलोकन से प्रतिवादी प्राधिकारियों का यह रुख पुख्ता हो जाएगा कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को नियमित करने के लिए उन पर कोई बाध्यकारी बात नहीं है और याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आगे के विस्तार आदेशों से केवल एक तथ्य ध्यान में आया कि याचिकाकर्ताओं



की नियुक्तियां पूरी तरह से संविदात्मक और अस्थायी आधार पर थीं और अन्य विभागों के नियम अलग हैं, जिन्हें वर्तमान याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रकृति में भिन्न होने के कारण नियमों की तुलना उनके साथ नहीं की जा सकती है।

11. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और रिट याचिकाओं के साथ संलग्न दस्तावेजों का भी अत्यंत सावधानी से अवलोकन किया है।

12. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हालांकि याचिकाकर्ताओं को संविदात्मक आधार पर नियुक्त किया गया था, लेकिन वे पिछले 10-16 वर्षों से अधिक समय से निरंतर सेवा में हैं और उनकी संविदात्मक नियुक्ति को समय-समय पर बढ़ाया गया है। याचिकाकर्ता कम वेतन वाले कर्मचारी हैं जो खेल प्रशिक्षक, मार्शल आर्ट, आत्मरक्षा प्रशिक्षक, कार्यालय सहायक, प्रयोगशाला सहायक, खेल सहायक, तकनीकी सहायक III, लैब अटेंडेंट, सहायक ग्रेड IV, लैब सहायक, सहायक ग्रेड III, मेट्रोन एजी II, सहायक ग्रेड II, जूनियर इंजीनियर, डाटा एंट्री ऑपरेटर/सहायक ग्रेड III और ग्रेड IV के पदों पर तैनात हैं क्योंकि उन्होंने 10-16 से अधिक वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, फिर भी उत्तरवादी अधिकारियों को उनकी सेवाओं की आवश्यकता है।

13. केन्द्र सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापनों के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने ज्ञापन संख्या 49019/1/2006-स्था.(सी) दिनांक 11.12.2006 के तहत स्वीकृत रिक्त पदों पर अनियमित तरीके से नियुक्त योग्य कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया था तथा आगे ज्ञापन संख्या 49014/7/2020-स्था.(सी) दिनांक 07.10.2020 के तहत स्वीकृत पदों पर नियुक्त योग्य कर्मियों के नियमितीकरण के संबंध में जारी किया था, लेकिन 10-16 वर्ष पूरे होने के बाद भी उनकी सेवाएं नियमित नहीं की गई हैं। कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार आदेश पारित किए हैं, जिसमें यह माना गया है कि यदि कर्मचारियों ने 10 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, तो उन्हें जिस पद पर वे कार्यरत हैं, उसी पर नियमित किया जाना चाहिए। वे लंबे समय तक अस्थायी नियुक्ति हेतु मैदान में नहीं उतर सकते हैं।

14. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने उत्तरवादी प्राधिकारियों के साथ काम करने वाले कर्मचारियों की एक सूची प्रस्तुत की थी, जिसमें रिट याचिका की संख्या, उनके नाम, पद, एनआईटी में विभाग, स्थिति, नियुक्ति की तारीख और उनके काम करने के वर्षों की संख्या दर्शाई गई थी, जो आसान संदर्भ के लिए निम्नानुसार है:

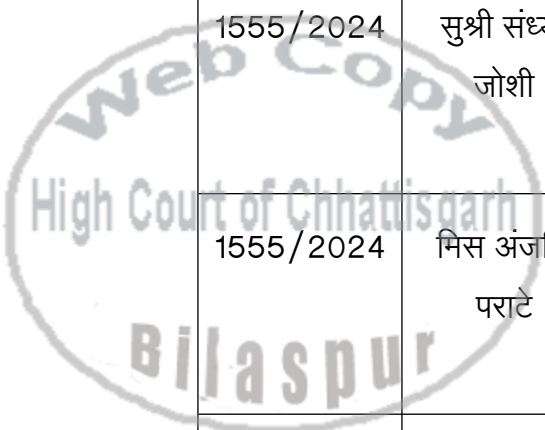
डब्ल्यू. पी. (एस) सं	याचिकाकर्ता का नाम	पद	एन. आई. टी. में विभाग	स्थिति	नियुक्ति की तिथि
-------------------------	-----------------------	----	--------------------------	--------	------------------



6234/2023	नीलिमा यादव	खेल प्रशिक्षक मार्शल आर्ट आत्मरक्षा प्रशिक्षक	खेल विभाग	दैनिक मजदूरी	09/09/2013
6240/2023	श्रीमती. निधि शर्मा	कार्यालय सहायक	डीन अनुसंधान और परामर्श	कुशल दैनिक मजदूरी	21/10/2013
6247/2023	सुनील कुमार सोनी	प्रयोगशाला परिचर	खनन विभाग	संविदा	11/08/2008
6326/2023	मिस संध्या	खेल सहायक	खेल विभाग	दैनिक मजदूरी	29/10/2014
8674/2023	रश्मि नागपाल	तकनीकी सहायक III	डीन छात्र कल्याण	संविदा	05/03/2010
8683/2023	संतोष कुमार नागवंशी	प्रयोगशाला परिचर	धातु विज्ञान विभाग	संविदा	22/08/2008
8687/2023	रमेश कुमार विजय	तकनीकी सहायक III	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	संविदा	04/02/2013
1555/2024	संजय कुमार देशमुख	तकनीकी सहायक III	भौतिकी विभाग	संविदा	21/12/2012
1555/2024	महेंद्र कुमार वर्मा	सहायक ग्रेड IV	विद्युत अभियांत्रिकी विभाग	संविदा	19/07/2008
1555/2024	कुश कुमार प्रयोगशाला	सहायक	विद्युत विभाग	संविदा	28/01/2013
1555/2024	संतोष कुमार दीवानगन	प्रयोगशाला परिचर	यांत्रिक कार्यशाला विभाग	संविदा	01/02/2012
1555/2024	सचिन कुमार	प्रयोगशाला	खनन	संविदा	04/01/2013



	डोनोडे	सहायक	अभियांत्रिकी विभाग		
1555/2024	मिस नेहा दुबे	सहायक ग्रेड III	धातुकर्म और सामग्री अभियांत्रिकी विभाग	संविदा	10/09/2011
1555/2024	सुजीत कुमार कर	प्रयोगशाला परिचर	विद्युत विभाग	संविदा	2011
1555/2024	मनोहर लाल दीवानगन	प्रयोगशाला परिचर	भौतिकी विभाग	संविदा	30/07/2008
1555/2024	सुश्री संध्या जोशी	प्रयोगशाला परिचर	विभाग में इलेक्ट्रॉनिक्स तथा संचार	संविदा	19/08/2011
1555/2024	मिस अंजलि पराटे	तकनीकी सहायक III	कंप्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरिंग विभाग	संविदा	23/08/2008
1555/2024	श्रीमती. दीपिका शर्मा	मेट्रन एजी-II	इंद्रावती बालिका छात्रावास	संविदा	18/09/2010
1555/2024	उज्ज्वला यादव	सहायक ग्रेड II	विभाग में इलेक्ट्रॉनिक और संचार	संविदा	2012
1555/2024	चंद्रकांत भंवर	प्रयोगशाला परिचर	एनआईटी	संविदा	2011
1555/2024	सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशो ने अभिनिर्धारित किया तनवीर	जूनियर इंजीनियर	विद्युत विभाग	संविदा	17/02/2012





	खान				
1555/2024	राकेश कुमार	तकनीकी सहायक III	धातुकर्म तथा सामग्री अभियांत्रिकी विभाग	संविदा	02/01/2013
1555/2024	श्रीमती. सुधा गिरि	तकनीकी सहायक III	धातुकर्म तथा सामग्री अभियांत्रिकी विभाग	संविदा	11/08/2008
1555/2024	रिपुसूदन लाल साहू	तकनीकी सहायक □□□	यांत्रिक कार्यशाला विभाग	संविदा	30/07/2008
1555/2024	दम्भन कुमार साहू	प्रयोगशाला सहायक	विद्युत विभाग	दैनिक मजदूरी (कौशल)	03/03/2013
1555/2024	लेखराज साहू	डेटा प्रविष्टि प्रचालक/सहायक ग्रेड III	परिक्षण प्रकोष्ठ	संविदा	15/04/2009
1555/2024	श्रीमती. मंजू वर्मा	ग्रेड IV डीन	(अनुसंधान तथा परामर्श)	दैनिक मजदूरी (कुशल)	27/06/2013
1555/2024	रूपेंद्र कुमार देवांगन	सहायक ग्रेड III	मुख्य वार्डन (लड़के) कार्यालय	संविदा	20/07/2009
1555/2024	तरुण कुमार	प्रयोगशाला सहायक	मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग	संविदा	03/01/2013
1555/2024	ईश्वर कुमार साहू	सहायक ग्रेड II	छात्र अनुभाग	संविदा	22/05/2008



1555/2024	सेबेस्टिन फ्रांसिस	प्रयोगशाला सहायक	एनआईटी	संविदा	02/01/2013
1555/2024	पवन कुमार झरिया	सहायक ग्रेड II	अनुप्रयुक्त भूविज्ञान	संविदा	02/03/2010
1555/2024	प्रमोद कुमार साहू	तकनीकी सहायक III	भौतिकी विभाग	संविदा	17/09/2010
1555/2024	मिस शिखा मातुरकर	सहायक ग्रेड II	मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग	दैनिक मजदूरी	15/11/2013
6752/2024	शेष नारायण वर्मा	तकनीकी सहायक III	रसायन विज्ञान विभाग	संविदा	07/01/2013
7160/2024	ओम प्रकाश साहू	प्रयोगशाला सहायक	इलेक्ट्रानिक्स तथा टेलिकम्युन आईकेशन	संविदा	01/01/2013
7212/2024	खगेश कुमार साहू	तकनीकी सहायक III	इलेक्ट्रानिक्स तथा टेलिकम्युन आईकेशन	संविदा	02/01/2013
7224/2024	धनेश्वर प्रसाद वर्मा	प्रयोगशाला सहायक	इलेक्ट्रानिक्स आरो टेलिकम्युन आईतथाशन बिफान	संविदा	02/01/2012

15. यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की भूमिका न केवल आवश्यक थी, बल्कि नियमित कर्मचारियों की भूमिका से अलग भी नहीं थी।लंबी अवधि तक उनके निरंतर योगदान, साथ ही किसी भी प्रतिकूल अभिलेख की अनुपस्थिति, न्यायसंगत व्यवहार और उनकी सेवाओं के नियमितीकरण की गारंटी देती है।इस लाभ से इनकार करना, उसके बाद उनकी मनमानी समाप्ति, स्पष्ट अन्याय है और इसे ठीक किया जाना चाहिए।

16. यह सुस्थापित है कि उमा देवी (सुप्रा) में निर्णय का उद्देश्य उन कर्मचारियों को दंडित करना नहीं है, जिन्होंने राज्य या उसके साधनों के चल रहे और आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए लंबे समय तक सेवा की है।उक्त निर्णय में संवैधानिक आवश्यकताओं को दरकिनार करने वाली पिछले दरवाजे से की जाने वाली



प्रविष्टियों और अवैध नियुक्तियों को रोकने की मांग की गई थी। हालांकि, जहां नियुक्तियां अवैध नहीं थीं, लेकिन संभवतः "अनियमित" थीं और जहां कर्मचारियों ने काफी समय तक स्वीकृत कार्यों की पृष्ठभूमि के खिलाफ लगातार काम किया था, वहां निष्पक्ष और मानवीय समाधान की आवश्यकता सर्वोपरि हो जाती है। लंबी, निरंतर और बेदाग सेवा, जो नियमित आधार पर स्वाभाविक रूप से आवश्यक कार्यों को निष्पादित करती है, समय के साथ, शुरू में तदर्थ या अस्थायी रूप से किए जाने वाले कार्यों को निष्पक्ष नियमितीकरण की मांग करने वाले परिदृश्य में बदल सकती है।

17. एम.एल. केसरी (सुप्रा) के मामले में, नियमितीकरण के संबंध में मुद्दे पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:---

"5. कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी, (2006) 4 एससीसी 1 में निर्णय 10.04.2006 को सुनाया गया था। उस मामले में, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने माना कि उचित प्रक्रिया या नियुक्ति से संबंधित नियमों का पालन किए बिना की गई नियुक्तियां नियुक्तियों को कोई अधिकार प्रदान नहीं करती हैं और अदालतें उनके अवशोषण, नियमितीकरण या पुनः नियुक्ति का निर्देश नहीं दे सकती हैं और न ही उनकी सेवा को स्थायी कर सकती हैं, और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को अवशोषण, नियमितीकरण या स्थायी निरंतरता के लिए सामान्य रूप से निर्देश जारी नहीं करना चाहिए जब तक कि भर्ती संवैधानिक योजना के अनुसार नियमित तरीके से नहीं की गई हो; और अदालतों को यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरतनी चाहिए कि वे राज्य या उसके साधनों द्वारा अपने मामलों की आर्थिक व्यवस्था में अनुचित रूप से हस्तक्षेप न करें, न ही संवैधानिक और वैधानिक आदेशों को दरकिनार करने में सुविधा प्रदान करने के साधन बनें।

6. उमादेवी (सुप्रा) में इस न्यायालय ने आगे कहा कि एक अस्थायी, संविदात्मक, आकस्मिक या दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को तब तक स्थायी किए जाने का कानूनी अधिकार नहीं है जब तक कि उसे प्रासंगिक नियमों के अनुसार या संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के अनुपालन में नियुक्त न किया गया हो। हालांकि, इस न्यायालय ने उपरोक्त स्थिति के लिए एक अपवाद बनाया और उसका उद्धरण नीचे दिया गया है:

"53. एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अनियमित नियुक्तियां (गैरकानूनी नियुक्तियां नहीं) जैसा कि [एसवी नारायणप्पा [1967 (1) एससीआर 128], आरएन नंजुंदप्पा [1972 (1) एससीसी 409] और बीएन नागराजन [1979 (4) एससीसी 507] में स्पष्ट किया गया है और उपरोक्त कंडिका 15 में संदर्भित किया गया है, विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई हो सकती हैं और कर्मचारियों ने अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना दस साल या उससे अधिक समय तक काम करना जारी रखा हो। ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के प्रश्न पर उपर्युक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों तथा इस निर्णय के आलोक में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। उस संदर्भ में, भारत संघ, राज्य सरकारों तथा उनकी संस्थाओं को ऐसे



अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं को एक बारगी उपाय के रूप में नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों पर दस वर्ष या उससे अधिक समय तक काम किया है, लेकिन न्यायालयों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के तहत नहीं तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन रिक्त स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्ती की जाए, जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता है, उन मामलों में जहां अस्थायी कर्मचारी या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अब नियोजित किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को इस तिथि से छह महीने के भीतर शुरू किया जाना चाहिए.....

"7. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उमादेवी में उल्लिखित 'नियमितीकरण' के विरुद्ध सामान्य सिद्धांतों का अपवाद है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं:

(i) संबंधित कर्मचारी को किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के अंतरिम आदेश के लाभ या संरक्षण के बिना विधिवत स्वीकृत पद पर 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक काम करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार या उसके तंत्र ने कर्मचारी को नियोजित किया हो और उसे दस वर्ष से अधिक समय तक स्वैच्छिक और निरंतर सेवा में बनाए रखा हो।

(ii) ऐसे कर्मचारी की नियुक्ति अवैध नहीं होनी चाहिए, भले ही वह अनियमित हो। जहां नियुक्तियां स्वीकृत पदों के विरुद्ध नहीं की गई हैं या जारी रखी गई हैं या जहां नियुक्त व्यक्ति निर्धारित न्यूनतम योग्यताएं नहीं रखते हैं, वहां नियुक्तियां अवैध मानी जाएंगी। लेकिन जहां नियोजित व्यक्ति निर्धारित योग्यताएं रखता था और स्वीकृत पदों के विरुद्ध काम कर रहा था, लेकिन खुली प्रतिस्पर्धी चयन प्रक्रिया से गुजरे बिना उसका चयन किया गया था, ऐसी नियुक्तियों को अनियमित माना जाएगा।

8. उमादेवी (सुप्रा) संबंधित सरकार या संस्था पर यह कर्तव्य डालती है कि वह एक बार के उपाय के रूप में उन अनियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कदम उठाए, जिन्होंने न्यायालय या न्यायाधिकरणों के किसी अंतरिम आदेश के लाभ या संरक्षण के बिना दस साल से अधिक समय तक सेवा की है। उमादेवी ने निर्देश दिया कि इस तरह के एकमुश्त उपाय को उसके निर्णय (10.4.2006 को दिए गए) की तारीख से छह महीने के भीतर लागू किया जाना चाहिए।

9. 'एकमुश्त उपाय' शब्द को इसके उचित परिप्रेक्ष्य में समझा जाना चाहिए। इसका सामान्य अर्थ यह होगा कि उमादेवी में निर्णय के बाद, प्रत्येक विभाग या प्रत्येक संस्था को एकमुश्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन सभी आकस्मिक, दैनिक वेतनभोगी या तदर्थ कर्मचारियों की सूची तैयार करनी चाहिए जो अदालतों और न्यायाधिकरणों के हस्तक्षेप के बिना दस साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं और उन्हें एक प्रक्रिया सत्यापन के अधीन करना चाहिए कि क्या वे रिक्त पदों पर काम कर रहे हैं और क्या उनके पास पद के लिए अपेक्षित योग्यता है और यदि हां, तो उनकी सेवाओं को नियमित करें।"

18. इसके अलावा, विनोद कुमार (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का उपयोग किसी ऐसे कर्मचारी को सेवा के नियमितीकरण से वंचित करने के लिए नहीं किया



जा सकता है, जिसकी नियुक्ति को "अस्थायी" कहा गया था, लेकिन उसने नियमित कर्मचारी की हैसियत से काफी समय तक नियमित कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले समान कर्तव्यों का पालन किया है। उक्त निर्णय के सुसंगत कंडिका नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:---

"5. दोनों पक्षों की तर्क सुनने के बाद, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि रोजगार का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किए जा सकते, जब रोजगार का वास्तविक क्रम समय के साथ काफी विकसित हो चुका हो। अपीलकर्ताओं की नियमित कर्मचारियों की हैसियत से निरंतर सेवा, स्थायी पदों पर कार्यरत लोगों से भिन्न नहीं किए जा सकने वाले कर्तव्यों का पालन, तथा नियमित भर्ती की प्रक्रिया के समान ही प्रक्रिया के माध्यम से उनका चयन, उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की अस्थायी और योजना-विशिष्ट प्रकृति से एक मौलिक विचलन है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं की पदोन्नति प्रक्रिया विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संचालित और देखरेख की गई थी तथा उनकी भूमिकाओं की अस्थायी प्रकृति के किसी भी संकेत की पुष्टि किए बिना या ऐसी अस्थायी नियुक्ति की अवधि निर्दिष्ट किए बिना 25 वर्षों से अधिक समय तक उनकी निरंतर सेवा, उनकी रोजगार स्थिति पर पुनर्विचार करने योग्य है।

6. उमादेवी (सुप्रा) में दिए गए फैसले को उच्च न्यायालय द्वारा लागू करना, तथ्यों के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाता है, क्योंकि अपीलकर्ता जिन विशिष्ट परिस्थितियों में कार्यरत थे और उन्होंने अपनी सेवा जारी रखी है। शुरु में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं पर निर्भरता का उपयोग निरंतर सेवा के माध्यम से काफी अवधि में अर्जित किए गए मूल अधिकारों को सदैव के लिए नकारने के लिए नहीं किया जा सकता है। उनकी पदोन्नति रिक्रियों के लिए एक विशिष्ट अधिसूचना और उसके बाद के परिपत्र के आधार पर हुई थी, जिसके बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार वाली चयन प्रक्रिया हुई, जो उनके मामले को उमादेवी (सुप्रा) के मामले में चर्चा की गई पिछले दरवाजे से की गई नियुक्तियों से अलग करती है।

7. उमादेवी (सुप्रा) मामले में दिए गए फैसले में "अनियमित" और "अवैध" नियुक्तियों के बीच भी अंतर किया गया है, जो कुछ नियुक्तियों पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करता है, भले ही वे निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से नहीं की गई हों, उन्हें अवैध रूप से नहीं किया गया कहा जा सकता है यदि उन्होंने नियमित नियुक्तियों की प्रक्रियाओं जैसे कि वर्तमान मामले में लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के संचालन का पालन किया हो। उमादेवी (सुप्रा) मामले का कंडिका 53 नीचे पुनः प्रस्तुत है--

"53. एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अनियमित नियुक्तियां (अवैध नियुक्तियां नहीं) जैसा कि [एस.वी. नारायणप्पा [(1967) 1 एससीआर 128:एआईआर 1967 एससी 1071), आर.एन. नंजुंदप्पा [(1972) 1 एससीसी 409:(1972) 2 एससीआर 799] और बी.एन. नागराजन [(1979) 4 एससीसी 507:1980 एससीसी (एलएंडएस) 4:(1979) 3 एससीआर 937] में स्पष्ट किया गया है और ऊपर कंडिका 15 में संदर्भित किया गया है, विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों पर विधिवत योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गई हो सकती है और



कर्मचारियों ने न्यायालय या न्यायाधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना दस साल या उससे अधिक समय तक काम करना जारी रखा हो। ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा ऊपर संदर्भित मामलों में निर्धारित सिद्धांतों तथा इस निर्णय के प्रकाश में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। उस संदर्भ में, भारत संघ, राज्य सरकारों तथा उनकी संस्थाओं को एक बार के उपाय के रूप में ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों पर दस वर्ष या उससे अधिक समय तक कार्य किया है, परंतु न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों के आदेशों के तहत नहीं तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन रिक्त स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्तियां की जाएं, जिन्हें भरे जाने की आवश्यकता है, उन मामलों में जहां अस्थायी कर्मचारियों अथवा दैनिक वेतन भोगियों को अब नियोजित किया जा रहा है इस तिथि से छह महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई नियमितीकरण पहले से किया गया है, लेकिन विचाराधीन नहीं है, तो उसे इस निर्णय के आधार पर पुनः खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संवैधानिक आवश्यकता को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए और संवैधानिक योजना के अनुसार विधिवत नियुक्त नहीं किए गए लोगों को नियमित या स्थायी नहीं किया जाना चाहिए। (मूल में जोर दिया गया है)"

8. ऊपर दर्ज किए गए कारणों के आलोक में, यह न्यायालय अपीलकर्ताओं के तर्क में योग्यता पाता है और अभिनिर्धारित किया गया है कि समय के साथ विकसित हुई उनकी सेवा की स्थिति, अस्थायी से नियमित स्थिति में पुनर्वर्गीकरण की गारंटी देती है। उनकी भूमिकाओं की मूल प्रकृति और स्थायी कर्मचारियों के समान उनकी निरंतर सेवा को पहचानने में विफलता, समानता, निष्पक्षता और रोजगार नियमों के पीछे के इरादे के सिद्धांतों के विपरीत है।"

19. वर्तमान में, एसएलपी (सी) सं.5580/2024 में पारित जगू बनाम भारत संघ तथा अन्य के मामले में 20.12.2024 पर निर्णय लिया गया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:---

"25. यह एक परेशान करने वाली सच्चाई है कि अस्थायी कर्मचारी, खास तौर पर सरकारी संस्थानों में, अक्सर शोषण के बहुआयामी रूपों का सामना करते हैं। जबकि अस्थायी संविदा का मूल उद्देश्य अल्पकालिक या मौसमी जरूरतों को पूरा करना हो सकता है, वे कर्मचारियों के प्रति दीर्घकालिक दायित्वों से बचने के लिए एक तंत्र बन गए हैं। ये प्रथाएँ कई तरीकों से प्रकट होती हैं:

- "अस्थायी" लेबल का दुरुपयोग:

ऐसे काम के लिए नियोजित कर्मचारी जो किसी संस्थान के कामकाज के लिए आवश्यक, आवर्ती और अभिन्न हैं, उन्हें अक्सर "अस्थायी" या "संविदात्मक" के रूप में लेबल किया जाता है, भले ही उनकी



भूमिकाएँ नियमित कर्मचारियों के समान हैं। इस तरह के गलत वर्गीकरण से श्रमिकों को उस सम्मान, सुरक्षा और लाभ से वंचित होना पड़ता है, जिसके वे नियमित कर्मचारी होते हैं,

भले ही वे समान कार्य ही क्यों न करते हैं।

मनमाना बर्खास्तगी: अस्थायी कर्मचारियों को अक्सर बिना किसी कारण या नोटिस के बर्खास्त कर दिया जाता है, जैसा कि वर्तमान मामले में देखा गया है। यह प्रथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करती है और श्रमिकों को उनकी सेवा की गुणवत्ता या अवधि की परवाह किए बिना निरंतर असुरक्षा की स्थिति में डालती है।

- कैरियर में प्रगति का अभाव: अस्थायी कर्मचारी अक्सर स्वयं को कौशल विकास, पदोन्नति या वेतन वृद्धि के अवसरों से वंचित पाते हैं। वे अपनी भूमिकाओं में स्थिर बने रहते हैं, जिससे उनके और उनके नियमित समकक्षों के बीच एक व्यवस्थित असमानता पैदा होती है, जबकि उनका योगदान समान रूप से महत्वपूर्ण होता है।

आउटसोर्सिंग को ढाल के रूप में इस्तेमाल करना:

संस्थाएँ अस्थायी कर्मचारियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को आउटसोर्स करने का सहारा ले रही हैं, जिससे शोषित श्रमिकों के एक समूह की जगह दूसरे को रखा जा रहा है। यह प्रथा न केवल शोषण को बढ़ावा देती है, बल्कि नियमित रोजगार देने की बाध्यता को दरकिनार करने के जानबूझकर किए गए प्रयास को भी दर्शाती है।

- बुनियादी अधिकारों और लाभों से इनकार:

अस्थायी कर्मचारियों को अक्सर पेंशन, भविष्य निधि, स्वास्थ्य बीमा और सेवतन अवकाश जैसे मूलभूत लाभों से वंचित रखा जाता है, भले ही उनका कार्यकाल दशकों तक क्यों न हो। सामाजिक सुरक्षा की कमी के कारण उन्हें और उनके परिवारों को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, खासकर बीमारी, सेवानिवृत्ति या अप्रत्याशित परिस्थितियों के मामले में।

26. उमादेवी (सुप्रा) में दिए गए इस निर्णय में पिछले दरवाजे से नियुक्तियों की प्रथा को कम करने और संवैधानिक सिद्धांतों के अनुसार नियुक्तियों को सुनिश्चित करने की मांग की गई थी, लेकिन यह खेदजनक है कि इसके सिद्धांतों की अक्सर गलत व्याख्या की जाती है या लंबे समय से सेवारत कर्मचारियों के वैध दावों को नकारने के लिए गलत तरीके से लागू किया जाता है। इस निर्णय का उद्देश्य "अवैध" और "अनियमित" नियुक्तियों के बीच अंतर करना था। इसने स्पष्ट रूप से माना कि अनियमित नियुक्तियों वाले कर्मचारी, जो विधिवत स्वीकृत पदों पर कार्यरत थे और लगातार दस वर्षों से अधिक समय तक सेवा दे चुके



थे, को एक बार के उपाय के रूप में नियमितीकरण के लिए विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, निर्णय के प्रशंसनीय आशय को तब विफल किया जा रहा है जब संस्थाएँ कर्मचारियों के दावों को अंधाधुंध तरीके से खारिज करने के लिए इसके निर्देशों पर भरोसा करती हैं, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जहाँ उनकी नियुक्तियाँ अवैध नहीं हैं, लेकिन केवल प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया है।

सरकारी विभाग अक्सर उमादेवी (सुप्रा) के फैसले का हवाला देते हुए तर्क देते हैं कि अस्थायी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का कोई निहित अधिकार मौजूद नहीं है, ऐसे मामलों में निर्णय की स्पष्ट स्वीकृति को नजरअंदाज कर दिया जाता है जहाँ नियमितीकरण उचित है। यह चयनात्मक आवेदन निर्णय की भावना और उद्देश्य को विकृत करता है, तथा प्रभावी रूप से इसे उन कर्मचारियों के विरुद्ध हथियार बनाता है जिन्होंने दशकों से अपरिहार्य सेवाएं प्रदान की हैं।

27. इन विचारों के आलोक में, हमारी राय में, सरकारी विभागों के लिए निष्पक्ष और स्थिर रोजगार प्रदान करने में उदाहरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। लंबी अवधि के लिए अस्थायी आधार पर श्रमिकों को काम पर रखना, खासकर जब उनकी भूमिका संगठन के कामकाज का अभिन्न अंग हो, न केवल अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन करता है, बल्कि संगठन को विधिक चुनौतियों का सामना करने के लिए भी विवश करता है और कर्मचारियों के मनोबल को कमजोर करता है। निष्पक्ष रोजगार प्रथाओं को सुनिश्चित करके, सरकारी संस्थान अनावश्यक मुकदमेबाजी के बोझ को कम कर सकते हैं, नौकरी की सुरक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बनाए रख सकते हैं, जिन्हें उन्हें अपनाना चाहिए। यह दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है और निजी क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक मिसाल कायम करता है, जिससे देश में श्रम प्रथाओं की समग्र बेहतरी में योगदान मिलता है।"

20. इसके अलावा, मनोज कुमार प्रधान (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया : ---

" उच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी (2006) 4 एससीसी 1 और कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम एमएल केशरी और अन्य 2010 (II) ओएलआर (एससी) 982 के फैसलों पर भरोसा करते हुए याचिका को अनुमति दी है, जिसमें इस न्यायालय ने माना है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी अंतरिम आदेश के लाभ या संरक्षण के बिना विधिवत स्वीकृत पद पर 10 साल या उससे अधिक समय तक काम करना जारी रखता है, तो उक्त कर्मचारी नियमितीकरण का हकदार होगा। वर्तमान मामले के तथ्यों में यह स्वीकार किया गया है कि उत्तरवादी ने न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी अंतरिम आदेश के संरक्षण के बिना 11 वर्षों से अधिक समय तक संविदा पर काम करना जारी रखा है। इस प्रकार, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई कमी नहीं दिखती है। तदनुसार, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी उस पद के अलावा किसी अन्य पद पर नियमितीकरण का दावा कर रहा है जिस पर वह काम कर



रहा है, जो फार्मासिस्ट-कम-लॉजिस्टिक असिस्टेंट है। हम स्पष्ट कर सकते हैं कि उत्तरवादी केवल उसी पद पर नियमितीकरण का हकदार होगा जिस पर उसे नियुक्त किया गया था और वह वर्तमान में काम कर रहा है। नियमितीकरण आज से दो महीने के भीतर किया जाना चाहिए।"

21. श्रीपाल (सुप्रा) मामले में, नियमितीकरण के मुद्दे पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:---

"16. उच्च न्यायालय ने नियोक्ता की इन अचानक बर्खास्तगी को उचित ठहराने में असमर्थता को स्वीकार किया। परिणामस्वरूप, इसने न्यूनतम वेतन में कुछ हद तक समानता के साथ दैनिक वेतन पर पुनः नियुक्ति का आदेश दिया। अफसोस की बात है कि इससे अनिश्चितता ही बनी रही: अपीलकर्ता कामगारों की स्थिति में मामूली सुधार हुआ, लेकिन फिर भी वे अनिश्चित स्थिति में ही रहे। हालांकि उच्च न्यायालय ने उनके काम के महत्व को पहचाना और अंततः नियमितीकरण का संकेत दिया, लेकिन वह उन्हें सेवा की निरंतरता या अभिलेख पर स्पष्ट वैधानिक उल्लंघन की डिग्री के अनुरूप सार्थक पिछला वेतन देने में विफल रहा।

17. इन विचारों के आलोक में, नियोक्ता द्वारा अपीलकर्ता कर्मचारियों को सेवा से बाहर करना सबसे बुनियादी श्रम कानून सिद्धांतों का उल्लंघन है। एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि उनकी सेवाओं को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 6 ई और 6 एन का पालन किए बिना समाप्त कर दिया गया था, और वे आवश्यक, बारहमासी कर्तव्यों में लगे हुए थे, तो इन श्रमिकों को स्थायी अनिश्चितता में नहीं रखा जा सकता है। जबकि नगरपालिका बजट और भर्ती नियमों के अनुपालन की चिंताएँ विचारणीय हैं, ऐसी चिंताएँ नियोक्ता को वैधानिक दायित्वों से मुक्त नहीं करती हैं या न्यायसंगत अधिकारों को नकारती नहीं हैं। वास्तव में, नौकरशाही की सीमाएँ उन श्रमिकों के वैध अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती हैं, जिन्होंने लम्बे समय तक वास्तविक नियमित भूमिकाओं में लगातार काम किया है।"

22. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपर्युक्त निर्णयों के प्रकाश में सभी मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के साथ-साथ मामले के तथ्यात्मक पहलू पर भी विचार करने के बाद, यह स्पष्ट है कि अस्थायी कर्मचारियों को उनकी अस्थायी सेवा का शिकार नहीं बनाया जा सकता है और उन्हें नियमित करने पर विचार किया जाना आवश्यक है। नियमित किए जाने की उनकी वैध अपेक्षा है और वे "अस्थायी" लेबल के दुरुपयोग, मनमाने ढंग से बर्खास्तगी, कैरियर में प्रगति की कमी, आउटसोर्सिंग को ढाल के रूप में उपयोग करने और मूल अधिकारों और लाभों से वंचित होने से पीड़ित नहीं हो सकते क्योंकि वे प्रतिवादी अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं।

23. न्यायालय को, दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में उन नागरिकों के साथ खड़ा होना होगा जिनके जीवन और आजीविका का अधिकार खतरे में है और मैं अपने कर्तव्य में विफल हो जाऊंगा यदि मैं उनके साथ खड़ा नहीं होता हूँ, खासकर जब उनकी नियुक्तियाँ विज्ञापन के बाद रिक्त स्वीकृत पदों के विरुद्ध विधि



की उचित प्रक्रिया द्वारा की गई हैं। उत्तरवादी का यह मामला नहीं है कि जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं को काम पर रखा गया या नियुक्त किया गया, उसमें किसी प्रकार की अवैधता का तत्व है।

24. मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों तथा संबंधित पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया था और उन्होंने अपनी सेवाओं के 10-16 वर्ष पूरे कर लिए हैं; इसके अतिरिक्त कुछ याचिकाकर्ताओं ने नियमितीकरण की राहत का दावा करते हुए पहले रिट याचिकाएं दायर की थीं, जिनका निराकरण उत्तरवादी प्राधिकारियों को नियमितीकरण के लिए उनके मामलों पर विचार करने का निर्देश देकर किया गया था, लेकिन उन्हें खारिज नहीं किया गया, ऐसे में, यह न्यायालय इस राय का है कि याचिकाकर्ता केवल उन्हीं पदों पर नियमितीकरण के लिए पात्र होंगे जिन पर उन्हें नियुक्त किया गया था और वे वर्तमान में काम कर रहे हैं।

25. उपर्युक्त के तहत, उत्तरवादी प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को उनके द्वारा धारित पदों पर नियमित करें। प्राधिकारियों द्वारा उनकी सेवाओं को विलम्बित समय पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर उनके नियमितीकरण के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और उन्हें पूरा किया जाना चाहिए।

26. उपर्युक्त अवलोकन/निर्देश के साथ, सभी रिट याचिका को स्वीकृति दी जाती है। इस पर कोई वाद व्यय देय का आदेश नहीं दिया जाता है।

सही./-

(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)

न्यायाधीश





(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।